



2026:AHC:60472

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10027 / 2026

सुनील

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	:	अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्रीमती अभिलाषा सिंह, आवेदक की विद्वान अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 206 / 2022, धाराओं 302, 201, 120-ख, 420, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना रेहरा, जनपद अमरोहा में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक अज्ञात वाहन ने प्रथम सूचनादाता के पुत्र को टक्कर मार दी और उसे घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस ने अन्वेषण के पश्चात् 29.09.2022 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिसे संबंधित न्यायालय ने 14.08.2025 को आगे की जाँच के निर्देश के साथ अस्वीकार कर

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया, और आगे की जाँच में आवेदक का नाम सामने आया। सह-अभियुक्त वेद प्रकाश के स्वीकारोक्ति बयान तथा पीड़ित की माँ शाहजहाँ के बयान में मृतक सलीम की हत्या के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया। आवेदक के विरुद्ध केवल यह आरोप है कि उसने सह-अभियुक्त के अनुरोध पर मृतक सलीम के नाम पर बीमा पॉलिसी बनवाई, जिसमें प्रथम सूचनादाता का नाम मृतक सलीम के पिता के रूप में दर्शाया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह विवादित नहीं है कि प्रथम सूचनादाता बाबू ने मृतक सलीम को पुत्र की भाँति पाला और सभी लोग उसे मृतक सलीम के पिता के रूप में जानते थे। यहाँ तक कि प्रश्नगत प्राथमिकी में भी मृतक सलीम को प्रथम सूचनादाता का पुत्र दर्शाया गया है, अतः आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया, और जो भी अपराध हुआ है, वह सह-अभियुक्त वेद प्रकाश, प्रेम शंकर एवं ओम प्रकाश द्वारा किया गया है। आवेदक ने एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। आवेदक 11.01.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षीय पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक प्रकरणों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए एवं **2025 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 3038** में प्रकाशित **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरण** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और प्रकरण की योग्यता पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक - **सुनील**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ न करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए विचारण / अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. संबंधित न्यायालय मुचलके स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जमानत प्रदान किए जाने हेतु नीतिगत रणनीति के संबंध में, स्वप्रेरणा से दायर रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में पारित आदेश, दिनांक 31.01.2023, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,)

24 मार्च, 2026

सीएस/-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।